

ड्रॉपआउट की समस्या: अनुसूचित जाति के विशेष संदर्भ में

ओमदत्त परेवा*

प्रस्तावना

अनुसूचित जनजाति के छात्रों में स्कूल छोड़ने की समस्या अन्य समुदाय के छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्य धारा के विकास पथ में लाने के लिए सरकारों की ओर से प्रतिबद्ध प्रयासों के बावजूद, इन समुदायों को बहिष्कृत और हाशिए पर रखा जा रहा है। कई सामाजिक-आर्थिक कारक ड्रॉपआउट को प्रभावित करते हैं और इनका विश्लेषण किया जाना है ताकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच ड्रॉपआउट समस्या को खत्म करने के लिए उपयुक्त नीतियां और विशेष योजनाएं तैयार की जा सकें। वर्तमान अध्ययन इन सामाजिक-आर्थिक कारकों की जांच करना चाहता है जो अनुसूचित जनजाति के छात्रों के स्कूल छोड़ने को प्रभावित करते हैं।

शिक्षा आर्थिक विकास के आवश्यक कारकों में से एक है। मानव पूँजी में पर्याप्त निवेश के बिना किसी भी देश के लिए सतत आर्थिक विकास हासिल करना असंभव होगा। शिक्षा द्वारा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समाज को बड़े पैमाने पर सामाजिक लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा, शिक्षा से सामाजिक और आर्थिक प्रगति प्राप्त करने और आय वितरण में सुधार करने में मदद मिलती है।

भारत में शिक्षा किसी भी अन्य देश की तरह तीन चरणों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में विभाजित है जिसमें प्राथमिक शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो इस स्तर के माध्यम से सफलतापूर्वक गुजरता है वह माध्यमिक और उच्च शिक्षा में पहुँच पाता है। इस कारण से हर समाज प्राथमिक शिक्षा पर जोर देता है जहाँ माता-पिता, शिक्षक, पड़ोस, समुदाय और अन्य लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चे को सही समय पर स्कूल में डाल दिया जाए लेकिन दुर्भाग्यवश कई बच्चों के मामलों में ऐसा नहीं होता जिसके विभिन्न कारण हैं।

सभी शिक्षा पर मैक्रो मार्जिनल रिटर्न शिक्षित देशों में काफी अधिक है। यह देखा गया है कि "कम शिक्षित देशों में सीमांत मैक्रो रिटर्न 50 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन चूंकि यह रिटर्न अप्रत्यक्ष है, इसलिए शिक्षा के लिए सीमांत रिटर्न की परिमाण की सराहना नहीं की जाती है। शिक्षा के लिए ये बहुत ही उच्च मैक्रो मार्जिनल रिटर्न गरीब देशों के लिए बहुत तेजी से विकास करना संभव बनाता है यदि वे स्कूली शिक्षा के अपने औसत स्तर को बढ़ाने के लिए एक बड़ी प्रतिबद्धता बनाते हैं।

भारत में शिक्षा ने स्कूलों में मानव पूँजी के शिक्षण, सीखने और प्रशिक्षण की प्रक्रिया ग्रहण की। यह ज्ञान को बढ़ाता है और कौशल विकास में परिणाम देता है जिससे मानव पूँजी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। सामान्य तौर पर, सरकार ने भारत में शिक्षा के महत्व को महत्व दिया है और यह हमारी आर्थिक नीतियों में परिलक्षित होता है, हालांकि बहुत कुछ हासिल करना वांछित है।

* शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

भारत में, दिसंबर 2002 में अधिनियमित संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। कानून इस कमी से ग्रस्त है कि छह साल से कम उम्र के बच्चों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई नीति है। नीति में ग्रामीण और शहरी भारत दोनों के कॉलेजों में प्रारंभिक शिक्षा शामिल है। शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति भारत सरकार द्वारा 1968 में पहली महिला प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, दूसरी प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा 1986 में और तीसरी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020, 2020 में प्रख्यापित की गई थी।

डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी 'जनजाति' को एक सामाजिक समूह के रूप में देखता है, आमतौर पर एक निश्चित बोली और क्षेत्र, सांस्कृतिक एकरूपता और एकीकृत सामाजिक संगठन के साथ। इस अर्थ में 'जनजाति' शब्द एक प्रकार के समाज को संदर्भित करता है और मानव समाज में विकास के एक चरण को विहित करता है। समाज के एक प्रकार के रूप में, यह शब्द विशिष्ट विशेषताओं के एक समूह और विकास के एक चरण के रूप में दर्शाता है; यह सामाजिक संगठन की एक विशिष्ट विधा को दर्शाता है।

आदिवासी समुदाय के बच्चों को शिक्षा के मोर्चे पर आबादी के अन्य वर्गों के बराबर लाने में कई तरह की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता को महसूस करने के बाद, कई दशकों में कई नीतिगत प्रयास किए गए हैं। हालाँकि इस रास्ते में बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है, फिर भी निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचना एक कठिन काम है। एक विशेष रूप से गंभीर समस्या आदिवासी बच्चों की प्रारंभिक स्कूल स्तर से बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़ने की है। इसके कारणों को जानना और उन्हें वापस स्कूल लाना बहुत जरूरी है। इस अध्ययन का उद्देश्य ड्रॉपआउट को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की जांच करना और उनकी पहचान करना है ताकि यह पूरी तरह से ड्रॉपआउट को खत्म करने के लिए उपयुक्त नीतियों के निर्माण में मदद कर सके।

वर्तमान अध्ययन की आवश्यकता

समीक्षा किए गए अधिकांश शोध अध्ययनों में स्कूल छोड़ने वालों के निर्धारक माने जाने वाले कारकों के एक समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुछ छात्रों से संबंधित मुद्दों जैसे कि उनके व्यवहार संबंधी विशेषताओं से निपटते हैं, कुछ माता-पिता की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से निपटते हैं और कुछ अन्य ने स्कूल से संबंधित मुद्दों जैसे कक्षा कक्ष, शिक्षक आदि के प्रभाव का अध्ययन किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी कारक एक साथ काम करते हैं और संभवतः अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए सभी कारकों का एक साथ अध्ययन करने के लिए एक एकीकृत अध्ययन की आवश्यकता है जो हमें एक सटीक तस्वीर देगी कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में कौन से कारक ड्रॉपआउट पर हावी हैं। इसके अलावा, विभिन्न कारकों के कार्यात्मक संबंधों के मात्रात्मक उपचार के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक रूप से कठोर विश्लेषण होता है जो उपयुक्त योजना और नीतियों के निर्माण में मदद करता है।

राजस्थान की जनजातियाँ

भारतीय सामाजिक प्रणाली की जनजातियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारत में जनजातीय समूहों को पिछड़ा/पिछलगु समुदाय माना जाता है। विभिन्न मानवशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और सामाजिक विचारकों के द्वारा आदिवासी जनजातियों को अलग-अलग नामों से सम्बोधित किया गया है। कुछ वैज्ञानिक जनजातियों के लिए आदिम (प्रिमिटिव) पद का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ है, प्राचीन। गिलिन और गिलिन जनजातियों के बारे में कहते हैं कि—“स्थानीय जनजातीय समूहों के ऐसे समुदाय को जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी सामान्य संस्कृति है।”

बाडेल जनजातियों के बारे में कहते हैं कि—“एक ऐसा समाज जो स्वयं में परिपूर्ण होता है, जिसके स्वयं के नियम विधान होते हैं तथा जो अपने सदस्यों के आचार व्यवहार को नियंत्रित करता है।”

जनजातियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के द्वारा एक व्यवस्थित और समेकित समाज के नाम से संबोधित करने का प्रयास किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार अलग-अलग प्रकार की लगभग 550 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया हैं सन् 1941 में भारत में जनजातियों की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, लेकिन विभाजन के पश्चात् 1951 में यह लगभग 1.9 करोड़ ही रह गई। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनजातियों की जनसंख्या 104545716 हो गई हैं। 1981 की जनसंख्या के पश्चात् राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की एक सूची प्रकाशित की, जिसमें 12 अनुसूचित जनजातियों को उनकी उपजातियों के साथ रखा है।

तालिका: राजस्थान में अनुसूचित जाति की ड्रॉपआउट दर

वर्ष	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर		
	बालिका	बालक	कुल	बालिका	बालक	कुल	बालिका	बालक	कुल
2019-20	2.83	2.93	2.88	2.76	1.78	2.23	16.13	16.58	16.38
2018-19	4.9	5.41	5.16	6.48	5.62	6.04	18.97	21.32	20.2
2017-18	4.73	4.98	4.85	7.14	6.07	6.59	21.47	22.05	21.77
2016-17	7.87	8.3	8.08	8.3	7.48	7.87	24.27	25.16	24.73
2015-16	4.21	4.71	4.46	6.04	5	5.51	19.05	19.64	19.36
2014-15	3.85	4.42	4.14	5.04	3.75	4.38	18.32	18.95	18.66
2013-14	6.08	6.16	6.12	5.41	3.92	4.65	15.8	16.03	15.92

सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट की सर्वाधिक दर 2013-14 में 6.12 प्रतिशत है जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2016-17 में 7.87 प्रतिशत है। जबकि माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक वर्ष 2016-17 में 24.73 प्रतिशत रही है। प्राथमिक स्तर पर देखा जाये तो बालिकाओं का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में सर्वाधिक 6.08 तथा बालकों का 6.16 प्रतिशत देखा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका की दर सर्वाधिक वर्ष 2016-17 में 8.3 प्रतिशत जबकि बालकों की दर 7.48 रही। जबकि माध्यमिक पर बालिकाओं की ड्रॉपआउट दर सर्वाधिक वर्ष 2016-17 में 24.27 तथा बालकों की 25.16 रही।

अनुसूचित जाति में विद्यार्थियों की इस प्रकार ड्रॉपआउट की बढ़ती दर के अनेक कारण सामने आये हैं जो कि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक इत्यादि होते हैं। शोधार्थी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर इन कारणों को जांचा तथा पाया कि परिवार का आकार, अभिभावकों की शैक्षिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, अभिभावकों की वार्षिक आय इसमें महत्वपूर्ण पाई गई।

शोधार्थी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए जयपुर जिले की नौ तहसील यथा—शाहपुरा, जमवारामगढ़, बस्सी, फूलेरा, दूदू फारी, चाकसू, गोविन्दगढ़ तथा झोटवाड़ा के 300 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जो निम्न प्रकार हैं—

निष्कर्ष

- सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं जैसे ब्लॉक, स्कूल प्रकार, आयु, लिंग, माता-पिता की शिक्षा, परिवार का प्रकार, घर का प्रकार, माता-पिता का व्यवसाय और छात्र को विद्यालय छोड़ दिया जाना, के संदर्भ में उत्तरदाताओं को चयनित किया गया है।
- चयनित उत्तरदाताओं में से अधिकांश उत्तरदाता फूलेरा, झोटवाड़ा, शाहपुरा और जमवारामगढ़ ब्लॉकों से आते हैं। अधिकांश उत्तरदाता प्राथमिक विद्यालय स्तर से हैं और उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर से हैं।
- लगभग 54 प्रतिशत उत्तरदाता 6-10 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। चयनित न्यादर्श में 175 लड़के और 125 लड़कियाँ हैं। 300 उत्तरदाताओं में से 296 अभिभावक निरक्षर हैं जो एकल परिवार से सम्बन्धित हैं। 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का आवासीय प्रकार कच्चा है। 65 फीसदी माता-पिता किसान हैं। उत्तरदाताओं के अधिकांश छात्र प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ चुके हैं।

- सामाजिक कारणों मामले में, शिक्षा के प्रति उनकी धारणा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली नौकरी की आवश्यकताओं के लिए अप्रासंगिक है, और जातिगत समूह का प्रभाव सामाजिक कारणों पर अधिक प्रभाव डालता है।
- आर्थिक कारणों के मामले में परिवार की भूमि का आकार, परिवार की वार्षिक आय और कार्य दिवस को सम्मिलित किया है जो कि एक महत्वपूर्ण कारण हैं जो ड्रॉपआउट के लिए जिम्मेदार हैं।
- व्यक्तिगत कारणों के सूचकांक के संबंध में, अध्ययन में रुचि, विषय को समझने में असमर्थता और शिक्षण भाषा महत्वपूर्ण समस्या क्षेत्र पाए जाते हैं।
- पारिवारिक कारक सूचकांक के संदर्भ में, अभिभावक की अपने बच्चे की पढ़ाई में रुचि की कमी के संदर्भ में एक बड़ी समस्या पाई जाती है।
- भौतिक कारणों के मामले में, स्कूल की दूरी, परिवहन साधनों की कमी/न्यूनता, विद्यालय पहुंच मार्ग की कमी, गैर आवासीय विद्यालय, कक्षा—कक्षों की अनुपलब्धता, छात्रावास की कमी और शिक्षण और शिक्षण सामग्री की कमी कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं जो ड्रॉपआउट में योगदान कर रही हैं।
- शैक्षिक कारण के मामले में, स्थानीय भाषा में अध्यापन न करना, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय में कठिनाइयाँ, अपर्याप्त सह—पाठचर्या गतिविधियाँ, अपर्याप्त शिक्षक—छात्र अनुपात, मुफ्त नोटबुक की अनुपलब्धता, छात्रवृत्ति और पॉकेट मनी प्रमुख समस्याएँ पाई गईं।
- ग्राम स्तर के कारणों के सन्दर्भ में स्वास्थ्य केन्द्र, बस अड्डे का अभाव तथा समाचार पत्रों एवं पुस्तकालय की अनुपलब्धता महत्वपूर्ण समस्याएँ पायी जाती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Shah, S.W., Amir, S.M. et.al (2012), "Analysis of the Dropout Trend In government girls primary school in district Mardan (Pakistan)". South Asian Academic Journals, Vol.-2, No.-10, October 2012, pp. 71-80
2. मिशेल, एस.एम. मोमो (2018) "अफ्रीका और एशिया में जल्दी स्कूल छोड़ने के कारणों पर साहित्य की एक व्यवस्थित समीक्षा" वॉल्यूम 7, इश्यू 3, पृ. 496—522.
3. DIET, goner, jaipur.
4. www.dise.in.
5. www.udiceplus.in
6. राजस्थान स्कूल एजुकेशन, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2017–18
7. राजस्थान स्कूल एजुकेशन, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2018–19
8. राजस्थान स्कूल एजुकेशन, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2019–20
9. राजस्थान स्कूल एजुकेशन, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2020–21
10. योजना, मासिक पत्रिका, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

